

PRESS**PM**
ASSOCIATION**PH. : 01822-237082**
MOB. : 94783-75125
62839-50660**PATARKAR MORCHA ASSOCIATION (REGD.) PUNJAB****Office cum residence: H.No.780-C, Urban Estate (PUDA), Kapurthala (Punjab)**
144601, Mob. No.9478375125, 6283950660, 9464036707, 7740019280

President

S.C. Kaushal

Chief Advisor

Adv. B.S. Bajwa

Vice President

Pawan Kaushal

Vice Chairman

Raj Kaushal

Account Manager

Sukhwinder Kaur

Incharge (Special News)

Jatinder Singh

News Anchor/ Editor

Harpreet Chheena

Sr. Reporter

Ramandeep Bhatti
Varinder Kumar

News Editor (Special News)

Harshdeep Langha

Ref. No.

Dated...../...../.....

सेवा में,

Hon'ble Cort National
Green Tribuunal Principal
Bench New Delhi.

Sub-मानयोग कोर्ट में केस, Case No 428/2023 मैं 24/01/24 की सुनवाई मैं, DDPO Kapurthala, के दुवारा पेड़ों के काटने से पहले ही यानी मैंने इन पेड़ों को कटने की शिकायत (Complaint) 16/12/22 को, DDPO को दी थी। यहाँ पे गोर करने वाली बात है कि शिकायत 16/12/22, को दी गई, DDPO, सहिब ने 02 मेमबरी साझी कमेटी का गंठन मेरी शिकायत करने से एक महीने पेहले ही कर दिया गया। जब के उस समय पेड़ों को काटा भी नहीं गया था। DDPO, Office के इस (Later No-1231-32) ओर इस पत्र में दिनांक को देखा जाए जो डाली गई है, वह है 17/11/22 को इस Joint Committee का गठन किया गया। यहाँ तक की इस कमेटी तरफ से 2 अलग अलग रिपोर्ट दी गई। जो मानयोग कोर्ट को रुपोट दी गई उस रुपोट में 11 पेड़ों के कटाने की जानकारी दी गई। ओर जो SSP, Kapurthala को FIR करवाने के लिए जो दरखसत दी गई उस में 38 से 40 पेड़ों के काटने की रिपोर्ट दी गई। इस बात से साबित होता है की मानयोग कोर्ट को गुमराह करने युक्त रिपोर्ट दी गई, यह सब मान सिंह को कोर्ट नजरों से नरदोस साबित करने लिये किया जा रहा है।

श्री मान जी-

1) विनर्मता सहित नवेदन है की मैं SC Kaushal (President) Patarkar Morcha Association, kapurthala का रेहने वाला हूं. श्रीमान जी, Case No 428/2023 में 24/01/24 की सुनवाई में, पैरा No{5} में जो कोर्ट को गुमराह करने युक्त जानकारी दी गई है जिस में कहा गया है की जो पेड़ काटे गए है | बुह Jun 2023, में नहीं कटे यह तो मेरी तरफ से Green Tribunal को भेजी गई उस Application में ही जानकारी दे दी गई थी। इस में नई खोज कोन सी की। मेरी तरफ से जो Ref No 1018 Dt 25/3/23 Hon'ble कोर्ट भेजी थी। जिस में यह बात साफ लिखी गई थी के इन पेड़ों को, 13/12/22 से 15/12/22, जानी 3 दिन काटा गया था | और मैंने अपने Mobile में 45 काटे गये पेड़ों की एक एक फोटो खींच के भेजी थी।

PRESS**PM**
ASSOCIATION**PH. : 01822-237082**
MOB. : 94783-75125
62839-50660**PATARKAR MORCHA ASSOCIATION (REGD.) PUNJAB****Office cum residence: H.No.780-C, Urban Estate (PUDA), Kapurthala (Punjab)**
144601, Mob. No.9478375125, 6283950660, 9464036707, 7740019280

President

S.C. Kaushal

Chief Advisor

Adv. B.S. Bajwa

Vice President

Pawan Kaushal

Vice Chairman

Raj Kaushal

Account Manager

Sukhwinder Kaur

Incharge (Special News)

Jatinder Singh

News Anchor/ Editor

Harpreet Chheena

Sr. Reporter

Ramandeep Bhatti
Varinder Kumar

News Editor (Special News)

Harshdeep Langha

Ref. No.

Dated...../...../.....

उस से पहले DDPO, Kapurthala को 16/12/22 को, एक लिखती शिकायत दी थी, जब उस शिकायत पे कोई कारवाही नहीं की तो ADC (D) और DC Kapurthala को काटे गए पेड़ों के साथ फोटो और लिखती शिकायतें वी सामने पैस हो के By Hand दी थी। यहां पे इक बात मान योग कोर्ट यह बताना चाहता हूं जब मैं, DC सहिब के दफ्तर में शिकायत, देने गया तो DC, सहिब ने इक सवाल किया के हो सकता है की जो पेड़ों को काटा गया वह पेड़ मान सिंह धम ने ही लगाए हो। तब मैंने उस सवाल का जवाब यह दिया के Sir अगर मैं आप की पुशतेनी जमीन पर 50 पोथे आज लगवा देता हूँ तो किया 20 साल के बाद जब बह पेड़ मोटे हो जाएंगे तो क्या उन पेड़ों को आप मुझे काटने दोगे कयोकि उन पेड़ों को मैंने लगवाया था तब DC, सहिब की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया।

(2) जब मैंने देखा के लोकल अधिकारियों का आपस में मैल जोल हो चुका है तब मेरे दिमाग में आया की जब ग्राम पंचायत को अपनी पंचायती जमीन चिंता नहीं है। तो मैं अपने पैसे और समय कयों खराब कर रहा हूँ। कयोकि के इस से पहले BDPO, DDPO, ADC (D), DC, Director Rural Deployment, Governor of Punjab, CM Punjab, Panchayat Mantri जानी हर जगह बह भी एक नहीं 8-8 शिकायतें भैजी पर कोई फायदा नही जब मैंने देखा की कोई भी Officers जहां तक मुख्यमंत्री, मंत्री कोई भी ध्यान नही दे रहा। तब मुझे आज से 20 साल पहले जब मैं Army, में था। उस समय किसी से बात करते हुए मानयोग Green Tribunal कोर्ट के बारे बताया था। तब उस बात की याद आ गई। तब मैं ने, Green Tribunal, को Application भैज दी बह भी 45 काटे गये पेड़ों की फोटो के साथ जिस मैं यह वी लिखा था के 100 दरखतो को कटवां के 4 ट्रेक्टर ट्राली मार्किट में वेच दी गई। DDPO kapurthala की तरफ से इस Case की (inquiry) इंकुयरी करने हेतु 02 (Junior) युनिअरस कर्मचारियों की, DDPO Kapurthala के Office, के Later No 1231-32 Dt 17-11-22 इस कमेंटी का गठन किया। इस 02 मेंबर कमेंटी मेंबरो का नाम इस प्रकार है Mr Charndep Singh टैक्स करैक्टर, Sukhdev Singh Panhayat Secretary और जब इस कमेंटी गठन किया गय था। पेड़ों को काटा गया 13/12/22 से 15/12/22 को और इंकुयरी कमेंटी पेड़ों को काटने से एक महीना पहले की Report, बना दी गई। यानी Man Singh को बचाने के लिए तिरखो में फेर बदल किया गया।

PATARKAR MORCHA ASSOCIATION (REGD.) PUNJAB

Office cum residence: H.No.780-C, Urban Estate (PUDA), Kapurthala (Punjab)
144601, Mob. No.9478375125, 6283950660, 9464036707, 7740019280

President

S.C. Kaushal

Chief Advisor

Adv. B.S. Bajwa

Vice President

Pawan Kaushal

Vice Chairman

Raj Kaushal

Account Manager

Sukhwinder Kaur

Incharge (Special News)

Jatinder Singh

News Anchor/ Editor

Harpreet Chheena

Sr. Reporter

**Ramandeep Bhatti
Varinder Kumar**

News Editor (Special News)

Harshdeep Langha

Ref. No.

Dated...../...../.....

(3) अब मैं मानयोग कोर्ट यह भी नवेदन करता हूँ इतफाक से मैं Indian Army में 35 साल Service करके आया हूँ।माननीय कोर्ट को यह बतना चाहता हूँ मैं अपनी Service के दौरान मुझे 8 (Court inquiry)कोर्ट इंकुयरी करने का मोका मिला और किसी भी कोई कोर्ट इंकुयरी में कोई भी तारुटी या गलती नहीं पाई गई। हां इक नवादेन करना चाहता हूँ हाली के माननीय कोर्ट यह बात बातने जरूरत नहीं के जब कोई Court inquiry का Order किसी फारमैसंन तरफ से किया जाता है। उस Later, पर, कोई (Senior Officer) सिनियर अफिसर साइन करता है तो उस पत्र में यह भी मैंनछिन (Mention) किया जाता है की किस बात की कितनी तैह तक जाना है। मैं नहीं जानता इस कंमटी का गंठन करते समय उस पत् पर साइन DDPO कपुरथला की तरफ से जो इंकुयरी कंमटी बनाई गई उस पत्र में यह Mention किया गया था या नहीं कितना तैह तक जाने का अधिकार दिया गया। यानी यह कंमेटी को BDPO, Office डिलवां में जा के 30 साल का रिकॉर्ड चैक करने अधिकार है की पिछले 30 सालो में किस किस आदमी को इस पंचायती जमीन को ठैके में दिया गया।

(4) अब मैं आता हूँ, DDPO कपुरथला दुबरा बनाई गई इंकुयरी कंमेटी पर तो इस कंमेटी तो कहना ही किआयां यह नाम के लिये बना दी गई। जो यह भी पता नहीं लगा पाई की इस पंचायती जमीन पर पिछले कितने सालों से नाजायज कब्जा किया हुआ था |और Last कितने साल पहले Man Singh Dham जोकी Lord Krishna College का मालक है। इस जमीन को कब और किस साल आखिरी ठैके पे लिया था | मुझे ग्राम पंचायत बादशाह पुर के साबका सरपंचों यानी भुतपूर्वक प्रधान ने बताया की इस जमीन का आखरी ठैका साल 1998 में BDPO Bhpinder Singh के कार्यकाल में हुआ था। उस समय ग्राम पंचायत प्रधान श्री Harjinder Singh हुआ करते थे और Harjinder Singh,के बाद में अगली ग्राम प्रधान बानी उनकी पत्नी ,श्री मती हरभजन कोर इस प्रकार ना तो उस समय के ग्राम पंचायत प्रधान हरजिंदर सिंह को पता चला और ना ही अगली सरपंच उनकी पत्नी श्री मती हरभजन कोर को ओर ना उस समय के मयुदा BDPO डिलवां Bhupinder Singh को डिलवां को,ना ही Panchayat Secretary Tarlok Singh,इन्के समय में ही इस पंचायती जमीन पर कोलज का निर्माण किया गया उस के बाद की पंचायतों ने इस कोलज को हटवाने के लिये समय समय पर काफी कौंशिश की पर लोकल पंचायत अधिकारियों की तरफ से इस पंचायती जमीन को खाली करवाने में भी मदद खाली करवाने में नहीं की। और न ही पंचायत की जमीन से कटवाई पेड़ों की पलिस को दरखमत दी। और जो एक दरखमत

PRESS**PM**
ASSOCIATIONPH. : 01822-237082
MOB. : 94783-75125
62839-50660**PATARKAR MORCHA ASSOCIATION (REGD.) PUNJAB**Office cum residence: H.No.780-C, Urban Estate (PUDA), Kapurthala (Punjab)
144601, Mob. No.9478375125, 6283950660, 9464036707, 7740019280

President

S.C. Kaushal

Chief Advisor

Adv. B.S. Bajwa

Vice President

Pawan Kaushal

Vice Chairman

Raj Kaushal

Account Manager

Sukhwinder Kaur

Incharge (Special News)

Jatinder Singh

News Anchor/ Editor

Harpreet Chheena

Sr. Reporter

Ramandeep Bhatti
Varinder Kumar

News Editor (Special News)

Harshdeep Langha

Ref. No.

Dated...../...../.....

BDPO Amarjit Singh की तरफ से DSP SUB DIV को भैंजी उस मै वी जो तिरख डाली गई वुह वी गलत 05/12/22 डाली गई। जब के पेड़ों को 13/12/22 से 15/12/22 को काटे गई यानी हर पत्र पे तिरखें गलत।

(5) इस बात का इस कमेटी के एक मेंबर Panchayat Secretary Sukhdev Singh अंछी तरहा से पता था की इन पेड़ो कब ,किस दिनांक को काटा और किस ने काटा कियोंकि सुखदेव सिंह पंचायत सेक्रेटरी ने ही 15/12/22 पेड़ो कटाने का ग्राम पंचायत की तरफ जो मता पास करवा के पुलिस चोकी बादशाह पुर को दिया गया था वह मता Panchayat Secretary सुखदेव सिंह ने ही अपने हाथों से लिखा था उस मते में और पुलिस चोकी बादशाह पुर को दी गई दरखसत में वी लिखा थी के इन पेड़ों किस ने कटवाई है और कितने काटे है।

इस के बाद वी यह इंकुयरी कमेटी का इस प्रकार की रिपोर्ट देना के उन पेड़ों किस ने काटा कब काटा Jun2023 में नहीं कटे जब के कमेटी का एक Panchayat Secretary, ही था। इस के बावजूद भी इस कमेटी को पता नहीं चला।

(6) अगर इस बात का याकीन मानयोग कोर्ट ना हो तो 15/12/22 को पंचायत की तरफ से दी उस दरखसत की कापी और पंचायत का रजिस्टर और पुलिस चोकी की और से उस दरखासत की Receiving Copy जोके में खुद में आपने हाथो से ले के सरपंच को दी थी।

जब के पुलिस बाले उस दरखसत की Receiving Copy, देने को तियार नहीं थे काफी बेहस करने पर भी Receiving Copy, नहीं दी तो, DSP Sub Div, को अपने मोबाइल से फोन करने के पर ,यानी DSP, सहिब के Order, के बाद Receiving Copy, दी गई।

(7) दुसरा इस Case No 428/23 मे अपनी इंकुयरी रिपोर्ट में यह कहना की इन पेड़ो को Jun 2023 मे नहीं काटा गया.जानी यह कमेटी मानयोग कोर्ट को यह बतना चहती है की मजुदा पंचायती जमीन पर Lord Krishna College का पिछले 30 साल से नहीं बलके 12/06/2023 को अब First time 90000 रु: मै ठैके पे दिया। जद यह जमीन का ठैका Lord Krishana College मालिकों द्वारा फरजी अदमी खड़ा कर के इस जमीन का बिना ग्राम में आलुसमेंट किये दे दिया गया।यह ठैका उस समय दिया गया जिस समय पंजाब सरकार ने पंजाब की सभी पंचायते भंग की हुई थी। इस प्रकार इस अदमी को अपने Office बोलवा के 12/6/23 ठैका दे दिया। इस कमेटी का

PRESS**PM**
ASSOCIATIONPH. : 01822-237082
MOB. : 94783-75125
62839-50660**PATARKAR MORCHA ASSOCIATION (REGD.) PUNJAB**Office cum residence: H.No.780-C, Urban Estate (PUDA), Kapurthala (Punjab)
144601, Mob. No.9478375125, 6283950660, 9464036707, 7740019280

President

S.C. Kaushal

Chief Advisor

Adv. B.S. Bajwa

Vice President

Pawan Kaushal

Vice Chairman

Raj Kaushal

Account Manager

Sukhwinder Kaur

Incharge (Special News)

Jatinder Singh

News Anchor/ Editor

Harpreet Chheena

Sr. Reporter

Ramandeep Bhatti
Varinder Kumar

News Editor (Special News)

Harshdeep Langha

Ref. No.

Dated...../...../.....

यह मानना है की इस से पहले कोलज का नाजिइंज कबजा ही नहीं था। इस पंचायती जमीन को अब पहली बार ठेके पे दिया गया है, अब यहा पर यह कोर्ट को बताना जरूरी नहीं समझा की जो यह 12/6/23 को जो नयां ठेका दिया गया है। वो 06 ऐंकड का है जा 10 ऐंकड का है।

(8) जब के मेरी तरफ से 2014 मै BDPO डिलवां को पाई गई RTI की। Report मै 10 ऐंकड 06कनाल बताया गया, इस कमेंटी ने ग्राम प्रधान से यहां तक की किसी पंचायत मेंबर से वी पता करने की कोशिश नहीं की | मेरे तरफ से 2014 मै एक RTI BDPO डिलवां को डाली गई थी. जिस के उत्तर में उस समय के BDPO डिलवां ने अपनी रिपोर्ट मै 10 ऐंकड 06 कनाल पर नजायज कवजे के बारे बताया गया था जिस की फोटो कापी मै मानयोग कोर्ट को पहले 02 वार भैंज चुकां हूं | जब के मंजुदा समय के BDPO डिलवां ओर इंनकुररी कमेंटी ने सिरफ 06ऐंकड के बारे बताया गया , DDPO kapurthala दवारा संगठित कमेंटी ने जो कोर्ट को रिपोर्ट दी उस Joint Committee की तरफो हर जगह पर गलत और वैतुकी रिपोट दी गयी |

(9) 15/12/23 की सुनबई के Order के पैरा No-01,मे मानयोग कोर्ट को कहा गया है की Respondents No 6 के बकील सहिब, ने अपनी दलील में कोर्ट को यह जानकारी दी है कि जब जुन 2023 इस पंचायती जमीन का ठेका लिया गया है। उस समय इन पेड़ो को नहीं काटा गया।

अब यह 2 मेंबरी साझी कमेंटी अपने वकील सहिब को यह जानकारी भी दे देते के यह जो जुन 2023 नयां ठेका दिया गया है यह ठेका किस आदमी दिया गया है। यह नयां ठेका मान सिंह को दिया गया है या मान सिंह धम की तरफ से कोई फरजी आदमी खड़ा कर के इस पंचायती जमीन का ठेका लिया गया। या

फिर Lord Krishna College, के मालिक को दिया गया, यां किसी दुसरे को क्योंकि जो मुझे जानकारी ग्राम बासीओं से मिलीं है बुह यह है की लोरड क्रशिना कोलज के मालिक मान सिंह धम को ग्राम पंचायत की तरफ साल 1998 से इस पंचायती जमीन का ठेका ना देने का फैसला किया गया था यानी बलैक लिस्ट कर दिया गया था।पंचायत ने इस अदमी के खानदान के किसी भी आदमी को इस पंचायती जमीन को ठेके में नहीं देने का फैसला किया गया था। इस बात का सबूत यह है कि साल15/03/2018 में मान सिंह ने अपने लड़के सरप्रीत सिंह के नाम पर धोखे से इस इस जमीन का ठेके में हिस्सा लेने की कोशिश की गई थी। उस समय इस के लड़के को उस बोली से बाहर कर टिया गया तब इस लड़के ने इस बात की डक दरखस्त

PRESS**PM**
ASSOCIATION**PH. : 01822-237082**
MOB. : 94783-75125
62839-50660**PATARKAR MORCHA ASSOCIATION (REGD.) PUNJAB****Office cum residence: H.No.780-C, Urban Estate (PUDA), Kapurthala (Punjab)**
144601, Mob. No.9478375125, 6283950660, 9464036707, 7740019280

President

S.C. Kaushal

Chief Advisor

Adv. B.S. Bajwa

Vice President

Pawan Kaushal

Vice Chairman

Raj Kaushal

Account Manager

Sukhwinder Kaur

Incharge (Special News)

Jatinder Singh

News Anchor/ Editor

Harpreet Chheena

Sr. Reporter

Ramandeep Bhatti
Varinder Kumar

News Editor (Special News)

Harshdeep Langha

Ref. No.

Dated...../...../.....

, DDPO Kapurthala, को दी थी जिस यह कहा गया था मेरे को इस पंचायती जमीन के ठेके की बोली में हिस्सा नहीं लैने दिया गया। उसमे इस लड़के को कामयाबी नहीं मिल पाई। इस आदमी ने जो कोलज बानवाईआ था उस की तो जमीन भी अपनी नहीं थी यानी बुह वी पंचायत की जमीन पे नाजायज़ कब्जा करके 1998 में बनवा लिया और जिस प्रकार उस समय के पंचायत प्रधान, मेंबर, Panchayt Secretary, BDPO, DDPO, ADC (D) को इस कोलज के बनाने पता चला उसी प्रकार इस इंकुयरी कमेंटी को वी पता नहीं चला। (10)24/10/24.की ओर से भेजे गये 2 प्रतिनिधि के हाथो से भेजी गई इंकुयारी कमेंटी की रूपोट में यह भी कहा गया है। की इन पेड़ो को जुन 2023 में नहीं काटा गया, इस बात के वारे में तो किसी ने कुछ कहा ही नहीं के इन पेड़ो को जुन 2023 मे काटा गया है। इस रिपोर्ट में यह भी कहा है जब 24/8/23 को कमेंटी के दुआरा इस जमीन का inspection किया गया तो उस समय इन पेड़ो को नहीं काटा गया । अब ना तो मानयोग कोर्ट ने यह कहा है इन पेड़ो को जुन में काटा गया है।अपनी मरजी से इस तरह की रिपोर्ट बना के दे दी गई। और में मानयोग कोर्ट को यह वी नवेदन करना चाहता हूँ की 24/01/24 की सुनवाई के Order, की कापी के (पैरां नः5) कहाँ गया है इस Joint Committee का गठन,Green Tribunal, के Order,पर किया गया था तो यह बात मानयोग कोर्ट गुमराह करने वाली है क्योंकि इस Joint Committee, गंठन के बारे में इस पत्र के पैरां नः 2 में पेहले ही लिख चुका हूँ की इस साझी 2 मेंबरी का गंठन DDPO Kapurthala,के Later No-1231-32 dt 17/11/22.को कर दिया गया था। इस के बाद भी इस,Order में यह कहा जा रहा है की इस कमेंटी का गंठन कोर्ट के कहने(Order)पर किया गया है। यहाँ पर एक बात कहना चाहता हूँ इन पेड़ो को काटा गया था,15/12/22 को और Green Tribunal, को मैरी तरफ से शिकायत भेजी गई थी 25/3/23 को और कोर्ट में पेहली, Hearing, होई 01/9/23 इस के बाद वी मानयोग कोर्ट यह कहा जा रहा है के इस कमेंटी का गंठन कोर्ट के, Order, पे किया गया कोर्ट के साहमने कितना झूठ बोलगे। इस कमेंटी ने यह भी कहा की उन पेड़ो को किस ने काटा है उस की पहचान नही की या सकी।या पहचान करना ही नहीं चहती थी कियोकि Lord Krishna College का मालक काफी मालदार अदमी है। इस लिए कमेंटी को पहचान नही हो सकी. मैं मानयोग कोर्ट को यह नवेदन करना चाहता हूँ, की Joint Committee ने ग्रामपंचायत के प्रधान से जा ग्राम पंचायत के एक वी मेंबरान से लिखती बिआन क्यों नहीं लिया. अगर यह वी नही किया जा सका तो ग्राम पंचायत

PRESS**PM**
ASSOCIATIONPH. : 01822-237082
MOB. : 94783-75125
62839-50660**PATARKAR MORCHA ASSOCIATION (REGD.) PUNJAB**Office cum residence: H.No.780-C, Urban Estate (PUDA), Kapurthala (Punjab)
144601, Mob. No.9478375125, 6283950660, 9464036707, 7740019280

President

S.C. Kaushal

Chief Advisor

Adv. B.S. Bajwa

Vice President

Pawan Kaushal

Vice Chairman

Raj Kaushal

Account Manager

Sukhwinder Kaur

Incharge (Special News)

Jatinder Singh

News Anchor/ Editor

Harpreet Chheena

Sr. Reporter

Ramandeep Bhatti
Varinder Kumar

News Editor (Special News)

Harshdeep Langha

Ref. No.

Dated...../...../.....

बादसाह पुर में बनाई गई पुलिस चौकी में जाकर 15/12/22 को ग्राम पंचायत की तरफो ग्रामप्रधान ने अपनी मेंबरो की तरफ से पंचायत के (Register) रजिस्टर में ग्राम पंचायत की तरफो एक मता पास करवा के पुलिस चौकी बादसाह पुर में ग्राम प्रधान और पंचायत की तरफो इक दरखासत दी गई थी। जिस में यह लिखा था हमारी पंचायती जमीन मे से पेंडो को कटवां के Lord Krishna College के मालक दोबारा मार्किट में बैचा जा रहा है, जब यह Application दी उस समय, जब BDPO डिलवां DDPO कपुरथला ने मौजूदा प्रधान श्री दिआल सिंह के दुबरा पंचायत अफसरों को वार वार फोन करने पर वी उनका फोन नहीं अठाइयां तो इक पत्रकार और President Patarkar Morcha Association के नाते ओर TV चैनलों पर खंबर लगावाने के लिये मायुदां ग्राम प्रधान ने मुझे फोन किया और कहा हमारे ग्राम की पंचायती जमीन से Lord Krishna College के मालको दोबरा पेंडो को काट वाईआ जा रहा है |मैं BDPO डिलवां और DDPO कपुरथला को बार बार फोन किया है और कोई वी मेरे फोन को अटेंड नहीं कर रहा इस लिये आप हमरे यहां आ कर TV चैनलों पर खबरें लगवा दो ओर खबरें लगवा वी दी गई। जब के मैं इस गांव से 10,12 किलोमिटर दुर कपुरथला में रहता हूं | इस गांव के प्रधान दुबरा बलाने पर मैं गया था बरना मुझे कैसे पता चलता | तब मैं पंचायत के साथ खड़ा हुआ और ग्राम पंचायत के प्रधान और मेंबरो के दुबरा मता पास करवा के खुद साथ जाकर पुलिस चौकी में दरखसत दी थी उसी को यह इंकुयरी कंमेटी, पुलिस चौकी मे जा कर चैक कर लैते वहा से इंकुयरी करना भी सही नहीं समझा !

धनवाद सहित

Dt.